रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19102020-222549
CG-DL-E-19102020-222549

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 527] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 19, 2020/आश्विन 27, 1942
No. 527] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 19, 2020/ASVINA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 2020

संख्या 32/2020- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 649 (अ).—जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "पोलिएस्टर के सभी फुल्ली ड्रान या फुल्ली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रा यार्न/फ्लैट यार्न" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत आता है, पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के अनुपालन में अधिसूचना संख्या 7/9/2020-

डीजीटीआर, दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया था और उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है;

अतः अब उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त नियमावली के नियम 23 के अनुपालन में, केन्द्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2015-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015, जिसे सा.का.नि. 804(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"3. उपर्युक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह अधिसूचना 30 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी ।"

[फा. सं. 354/29/2009-टीआरयू (पार्ट-II)]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2020

No. 32/2020-Customs (ADD)

G.S.R. 649(E).—Whereas, the designated authority *vide* notification No. 7/9/2020-DGTR dated 15th April, 2020, published in Gazette of India, Extraordinary Part I, Section 1 of the, dated the 15th April, 2020, had initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester, falling under chapter 54 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from People's Republic of China and Thailand imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue),No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 804 (E), dated the 21st October, 2015, and has requested for extension of anti-dumping in terms of sub-section (5) of section 9A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of rule 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2015-Customs (ADD) dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 804 (E), dated the 21st October, 2015, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained hereinabove, this notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th day of November, 2020.".

[F. No. 354/29/2009-TRU (Pt-II)]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM